Arbitration वाद सं0–28/2021

श्री कामेश्वर ठाकुर
बनाम
राज्य सरकार एवं अन्य

आदेश/अवार्ड

अनुसूची 14–फारम सं0–563

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
11.04.2023	प्रस्तुत Arbitration वाद श्री कामेश्वर ठाकुर, पिता–राजेन्द्र ठाकुर, ग्रा0–जलालपुर बंगरी, पो0–पुपड़ी, जिला–सीतामढ़ी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0– 527 C अन्तर्गत अधिग्रहित जमीन (खाता सं0–1403, खेसरा सं0–5014) के उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के विरूद्व दायर किया गया है। दिनांक–18.03.2023 को जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता से प्राप्त प्रतिवेदन वादी को हस्तगत कराया गया तत्पश्चात् सुनवाई प्रारंभ की गयी। वादी के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य रू0–16000/– डी0 के दर से निर्धारित करते हुए मुआवजा भुगतान किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। उनका (वादी) यह भी दावा है कि अधिग्रहित की जा रही भूमि SH-87 के बगल में अवस्थित है इसलिए उनके (वादी) जमीन का सरकारी दर से बाजार मूल्य रू0–90,000/– डी0 निर्धारित किया जाए। इस प्रकार वादी द्वारा दावा किया गया है कि रू0–90,000/– डी0 मुआवजा का निर्धारण करते हुए अंतर राशि का भुगतान किया जाए। सुनवाई के दौरान NHAI के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित अभिकथन समर्पित करते हुए उल्लेख किया है कि NHAI Act-1956 की धारा–3G (5) के अधीन वादी द्वारा समर्पित वाद पत्र स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह मुआवजा राशि के निर्धारण के बजाये जमीन के वर्गीकरण से संबंधित है तथा धारा–3G (5)	

WEB COPY NOT OFFICIAL

के NH Act-1956 के तहत अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण maintainable नहीं है।

सक्षम प्राधिकार–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा वादी के वाद पत्र के प्रत्युत्तर में अपने कार्यालय के पत्रांक–346 दिनांक–25.03.2023 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करते हुए उल्लेख किया है कि अधिग्रहित भूमि का 3D गजट प्रकाशन के अनुरूप वर्ग–02 मानते हुए मूल्यांकन किया गया है। DLAO, सीतामढी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि 3A अधिसूचना संख्या–KA 98 (A) दिनांक–12.07.2017 के प्रकाशन के 21 दिनों के अंदर हितबद्व व्यक्तियों को आपत्ति देने का अवसर था, परन्तु वादी के द्वारा भूमि के किस्म के प्रति कोई आपत्ति समर्पित नहीं की गई।

वादीं के विद्वान अधिवक्ता, NHAI के विद्वान अधिवक्ता, DLAO, सीतामढ़ी को सुनने एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी का मुख्य दावा भूमि के प्रकृति के आधार पर मूल्यांकन कर मुआवजा भुगतान से संबंधित है। इस संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी ने अपने पत्रांक–346 दिनांक–25.03.2023 द्वारा यह स्वीकार किया है कि अधिग्रहित भूमि का 3D गजट प्रकाशन के अनुरूप भीठ–02 मानते हुए भूमि का मूल्यांकन किया गया है।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि Ministry of Road transport and highways, Government of India के पत्रांक–NH-11011/30/2015-LA दिनांक–28.12.2017 के अनुसार भूमि की प्रकृति 3A अधिसूचना के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, जिसका राजस्व अभिलेख खतियान होता है। साथ ही इस संबंध में MORTH के पत्रांक– NH-11011/30/2015-LA दिनांक–28.12.2017 के कंडिका–10 (iii) में उल्लेखित प्रावधान है:–

"Certain undesirable practices have come to notice of the Central Government. These include change in the nature of land or adoption of incorrect classification of land for determination of market value

WEB COPY NOT OFFICIAL

	of land. it may be noted that the nature of land has to be taken as recorded in the revenue records on the day of publication of section-3A notification. for instance, if some landowner/interested person has raised a factory building or a commercial building upon the land under acquisition without obtaining the "Change in Land use" from the competent authority prescribed by the State Government, he/she cannot take the benefit of treatment of such land as industrial" or "commercial". उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वादी को मुआवजा का भुगतान किया गया है, जो नियमानुकूल है। अतएव जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा भुगतान संबंधी पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत वाद अस्वीकृत किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित** **आर्बिट्रेटर–सह–आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।** **आर्बिट्रेटर–सह–आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।**	

WEB COPY NOT OFFICIAL

WEB COPY NOT OFFICIAL